ज्ञान तत्व 193

(क) लेख नक्सलवाद और समाधान की विस्तृत समीक्षा।
(ख) ट्रस्ट संबंधी जानकारी।
(ग) छोटे राज्य उचित या नहीं।
(घ) अंतरजातीय विवाह पर मधुर कुलश्रेष्ठ जी के प्रश्न का उत्तर।
(च) मधुसूदन अग्रवाल ,गोंदिया महाराष्ट्र द्वारा रामानुजगंज के संबंध में।
(छ) आचार्य पंकज जी द्वारा मुस्लिम महिलाओं के संबंध में।

(क) नक्सलवाद और समाधान

आज पूरा देश नक्सलवाद से चिन्तित है। मैं विकसित भारत के जिन क्षेत्रों में जाता हूँ वहाँ के श्रोता बड़ी उत्सुकता से मुझसे पूछते हैं कि नक्सलवाद क्या है ? ये लोग कैसे दिखाई देते हैं? आप उस क्षेत्र में किस तरह रहते हैं? आदि– आदि। पूरी भारत सरकार भी नक्सलवाद को भारत की पहली समस्या घोषित करके समाधान की लम्बी चौड़ी तैयारी कर रही है। बैठकें पर बैठकें और रोज नई–नई घोषणाऐं हो रही हैं। आज ही केन्द्रीय गृहमंत्री चिन्दम्बरम जी नें कहा है कि फरवरी से नक्सलवाद नियन्त्रण अभियान प्रारम्भ हो सकता है। इसकी शुरूआत छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर क्षेत्र से होगी। विदित हो कि सरगुजा जिले का जो भाग नक्सलवाद प्रभावित है वह रामानुजगंज क्षेत्र है और सौभाग्य से मैं वहीं का निवासी होने से इस संपूर्ण महासंग्राम का प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमणसिंह जी ने भी कहा है कि नक्सलियों को खदेडने के बाद इस मुक्त क्षेत्र का तीव्र विकास भी किया जायगा। दूसरी ओर नक्सलवादियों ने भी चुनौती स्वीकार करने का मन बना लिया है। उनकी भी योजना है कि वे अभियान शुरू होते ही इस क्षेत्र को छोड़ कर चले जायेगें । उनके समर्थक यहॉ समाज में असंतोष बढ़ाने का काम भिन्न नामों और रूपो में करते रहेगे। एक वर्ष के पूर्व ही केन्द्र का भारी भरकम अभियान दम तोड़ देगा और नक्सलवाद और अधिक सक्रियता और शक्ति से स्थापित हो जायेगा । क्या होगा यह पता नही किन्तु इतना अवश्य होगा कि मेरा गृह क्षेत्र रामानुजगंज इस राष्ट्रीय युद्ध का रणक्षेत्र बनेगा जिसके अच्छे और बुरे परिणाम यहॉ के लोगों को स्वीकार करने ही होगें ।

मै स्वयं भी दोनों के संघर्ष की पृष्ठ भूमि को नजदीक से देखता रहता हूँ । यहॉ तक कि मैने सत्ता के उच्च पदो पर रहकर भी अपने इस क्षेत्र की व्यवस्था को देखा है और नक्सलवादियों के निकट संपर्क से भी । एक ओर तो नक्सलवादी हिंसा का मुखर विरोधी होने के कारण नक्सलवादियों ने मुझे अपना प्रमुख विरोधी मान रखा था तो दूसरी ओर सरकार ने मुझे नक्सलवादी घोषित करके मुझपर सन् छियान्नवें में न्यायालय में आरोप भी लगाया था जो मैने उच्च न्यायालय तक लड़कर मुक्ति पायी । मैने दोनो ओर के आक्रमण झेलकर नक्सलवाद को समझा है। मैने पाया है कि नक्सलवाद किसी भी रूप में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं है। सच बात यह है कि नक्सलवाद पूरी तरह सत्ता संघर्ष मात्र है। स्वतंत्रता के समय भारत के राजनेताओं के एक गुट ने गांधी की और दूसरे गुट ने गांधी के ग्राम स्वराज्य की नीतियों की हत्या करके समाज को गुलाम बना लिया था । इन लोगों ने मिलजुल कर समाज पर एक ऐसा संविधान थोप दिया जिसमें लोकतंत्र के नाम पर अनन्त काल तक समाज को गुलाम बनाकर रखने के सभी उपकरण मौजूद है। वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था येन केन प्रकारेण इस लोक तंत्र को सुरक्षित रखना चाहती है और

नक्सलवादी इस लोक तंत्र को उखाड़ फेककर अपनी नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते है। दोनो के बीच में संघर्ष का प्रतीक बना है भारतीय संविधान । वही संविधान जिसके नाम पर पिछले साठ वर्षो से भारतीय समाज व्यवस्था को गुलाम बनाकर रखा जा रहा है। तथा कोई भी लोकतंत्र वादी यह बताने के लिये तैयार नही कि समाज को राजनैतिक गुलामी से कब और कैसे मुक्ति मिलेगी । वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के दलाल इस व्यवस्था से लाभ उठा उठा कर बदले में इसका गुणगान करते हुये इस अतिवादी प्रशंसा तक चले जाते है कि भारत का वर्तमान संविधान दुनियॉ का सबसे अच्छा संविधान है या भारत दुनियॉ का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अनेक साहित्यकार या समाज सेवी तो शतप्रतिशत मतदान या मतदाताजागरण अभियान आदि के नाटको द्वारा वर्तमान व्यवस्था कि दलाली करते मिल जाया करते है और अब तो कुछ धर्मगुरू तक इस चापलूसी में शामिल हो गये है जो स्वभाविक भी है क्योकि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ही तो उन्हें इस तरह बिना मेहनत के ही उच्च सुविधाऍ संग्रह करने की छूट दी है।

सम्पन्नता सुविधा और अधिकारों की इस संवैधानिक लूट का स्वामित्व अपने हाथ में लेने का हिसंक प्रयास ही नक्सलवाद है। विभिन्न राजनैतिक दल तोकतंत्र की दुहाई देकर संवैधानिक तरीके से इस लूट के स्वामित्व पर कब्जा बनाये रखना चाहते है, तो दूसरी ओर अनेक दुसाहसी इस प्रयास में स्वयं को असमर्थ पाकर लोक तंत्र संविधान आदि का विरोध करके इस स्वामित्व को प्राप्त करना चाहते है और इस सफलता के लिये हिंसा ही सबसे अच्छा समाधान दिखता है। आज वर्तमान लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था नागरिकों से असीमित धन टैक्स के रूप में वसूल कर उस टैक्स का कुछ भाग सेना पुलिस पर खर्च करती है और शेष को अपने दलालो पर, अपनी व्यवस्था पर, तथा कुछ बचा धन नागरिकों की सुख सुविधा पर खर्च करती है। यही सेना और पुलिस वर्तमान व्यवस्था को समाज को गुलाम बनकर रखने में मदद करती है। नक्सलवादी भी ठीक उसी मार्ग पर चलकर टैक्स के रूप में समाज से बेतहाशा धन वसूलते है, अपनी सेना तैयार करते है, मानवाधिकार कार्यकर्ता और साहित्यकार रूपी दलाल खड़े करते है तथा कुछ धन सामाजिक विकास पर भी लगाया करते है। उद्देश्य, लक्ष्य और मार्ग दोनो का एक ही है कि समाज को लम्बे समय तक गुलाम बनाकर रखा जाये और इस कार्य के लिये जनहित का ढ़ोंग किया जाय। गंभीरता पूर्वक विचार करिये की नक्सलवादियों की प्रशंसा करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता या साहित्यकारों का खर्च कहॉ से आता है। इन सबका कोई अपना व्यवसाय नहीं है। जिस तरह कुछ दिन पहले मेघा पाटकर संदीप पांडे आदि का वस्तर में उन्हीं की भाषा में नीचे उतकर वहॉ के सरकारी एजेन्टों ने जनहित के नाम पर विरोध किया तब इन्हें अपने बचाव के लिये गांधी याद आये अन्यथा नक्सलवादियों की प्रशंसा करते समय तो गांधी कभी याद नही आते थे । इनका न गांधीवाद से काई संबंध है न ही मानवाधिकार से । ये तो सिर्फ नक्सलवादी हिंसा के समर्थन का व्यवसाय करने वाले लोग है जो गांधी और गांधीवाद की दुकानदारी करते रहते है। ऐसे लोग न समाज के लिये कभी समस्या है, न ही समाधान। ये तो समाज को गुलाम बनाकर रखने के काम में लगे संघर्षरत दो गुटों में से एक के सिपाही मात्र है। सर्वाधिक चिन्ता की बात यह है कि इस संघर्ष मे होने वाले खर्च की व्यवस्था कहॉ से होगी । न तो सरकार का कुछ खर्च होना है न ही नक्सलवादियों का । दोनो ही पक्ष जो भी बन्दूक पिस्तौल गोला बारूद खरीदेगें उसका सारा खर्च हमसे ही वसूल करेगें। इनके जो सैनिक मरेंगे उसका मुआबजा भी हमसे ही वसूला जायेगा । दोनों पक्ष हमारे लिये संघर्ष कर रहे है। किन्तु दोनों ने ही हमसे स्वीकृति या सहमति नही ली । अपने कुछ एजेन्टो की सहमति को ही जन सहमति घोषित कर दिया गया है। अभी अभी दिसम्बर माह में

ही मैने एक सौ तेरह गांवों मे भ्रमण करके पाया कि गांवो की जनता वर्तमान आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी पंचायत व्यवस्था से पूरी तरह त्रस्त है तो दूसरी ओर नक्सलवाद के नाम पर भी उसे अज्ञात तानाशाही का ही भय सता रहा है। जनता क्या करे उसे समझ में ही नही आ रहा । दोनो ही पक्ष पूरी तरह युद्ध के लिये तैयार है। युद्ध हमारे क्षेत्र में ही शुरू होना है। अज्ञात आशंकाएँ घर कर रही है। मार्ग दिख नही रहा । ऐसे ही संकट काल में रामचन्द्रपुर विकास खण्ड के लोगो ने पच्चीस दिसम्बर को दो दिनो तक बैठकर युद्ध विराम का फार्मूला निकाला कि दोनो ही पक्ष जिस समाज के लिये संघर्ष की तैयारी कर रहे है, यदि उस समाज को ही स्वतंत्रता दे दी जाये तो दोनों के बीच झगडा क्या रहेगा । समाज की पहली इकाई है परिवार और दूसरी है गांव । वर्तमान में परिवार की चर्चा हम अलग से कर लेगे। यदि समाज की प्रथम संवैधानिक इकाई ग्राम सभा को वास्तविक अधिकार सम्पन्न बनाकर उसे सक्रिय और सशक्त बना दिया जावें तो दोनो पक्षो के बीच टकराव का आधार ही क्या है ? दोनो ही पक्ष आश्वासन दे कि बिना ग्राम सभा की स्वीकृति या अनुमति के न कोई नया कानून समाज पर थोपा जायेगा न ही कोई टैक्स लादा जायेगा । यदि ग्राम सभा वर्तमान किसी कानून को भी अपने ग्राम क्षेत्र में अनावश्यक समझेगी तो उस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जायेगा । नक्सलवादियों का भी कोई सुझाव हो तो वे ग्राम सभा को सहमत करे और सरकार भी वही करने की घोषणा कर दे तो टकराव का कोई और कारण ही नही है। बहुत आसान सा तो मार्ग है कि दोनो पक्ष समाज की चिन्ता करना छोड़कर समाज को अपनी चिन्ता स्वयं करने की स्वतंत्रता दे दे ंतो हो गया समाधान। सरकार बहाना बनाती है कि गांव के लोग ग्राम सभा मे नही आते । गांव के लोग ग्राम सभा को सरकारी नाटक मानकर उस पर विश्वास ही नही रखते । नक्सलवादी ग्राम सभा पर ही भरोसा नही करके अपनी बन्दूक पर ही भरोसा करते है। दोनो ही पक्ष समाज को ढाल बनाकर एक दूसरे से सत्ता संघर्ष की तैयारी कर रहे है और चिन्ता क्षेत्र के नागरिकों को सता रही है कि इस युद्ध में उनका क्या होगा ?

मै पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था की नीतियॉ ही गलत नही है बल्कि नीयत ही गलत है। विकास का मार्ग तो एक ढोंग है। यदि खर्च किये जाने वाले धन मे से सिर्फ कमीशन ही बन्द हो जाये तो विकास की सारी पोल खुल जायेगी । धन तो इसलिये सड़को पर बह रहा है कि उसमें सभी सत्ता सम्बद्ध तथा नक्सलवाद समर्थित प्रमुख लोगो को कुछ न कुछ कमाई होती रहती है। ये सबलोग विकास का इसलिय तो रोना रोते है । नक्सलवादी विकास की मांग करते है और विकास में बाधा भी पहुँचाते है। दूसरी ओर सरकारी पक्ष के लोगों का बस चले तो वे विकास का सारा का सारा पैसा ही मिलकर आपस में बांट ले । साथ में दोनों ही पक्ष लगातार विकास की ही रट भी लगाते रहते है।

मैने स्वयं भी इस विषय पर खूब सोचा है। नक्सलवाद का समाधान न तो विकास है न ही बन्दूक । नक्सलवाद का एक ही समाधान है स्थानीय स्वायतता जिसका संशोधित तरीका है ग्राम सभा सशक्तिकरण । यह सशक्तिकरण न कानून से होगा न ही हिंसा से। यह सशक्तिकरण होगा ग्राम सभा का आत्मविश्वास और मनोबल बढाने से । सरकार अपने पंच सरपंच और सचिव के भ्रष्टाचार पर रोक लगा दे और यदि आवश्यक हो तो कुछ समय के लिये पूरे धन का ही आबंटन रोक दे तो संघर्ष रत दोनों ही पक्ष ग्राम सभा के महत्व को स्वीकार करने लग जायेगें । पंच सरपंच पद के लिये होने वाले संघर्ष में कही लेश मात्र भी जन सेवा का भाव न होकर शुद्ध व्यवसाय है। यदि यह व्यवसाय ही है तो नक्सलवादी भी हिस्सा खोजेगें ही । इसमे कुछ भी अस्वाभाविक नही

है। मेरी तो यह सलाह है कि रामचन्द्रपुर विकास खण्ड ने नक्सलवाद के समाधान के लिये बन्दूक और विकास से हटकर जो ग्राम सभा सशक्तिकरण का प्रयोग शुरू किया है उसे दोनो ही पक्ष स्वीकार करें जिससे संभावित युद्ध की विभीषका से बचा जा सके ।

प्रश्नोत्तर

(ख) श्री ओम प्रकाश जी दुबे, ट्रस्ट सदस्य, नोयडा,

प्रश्न– एक बर्ष हो गया किन्तु ट्रस्ट की सक्रियता तथा उपयोगिता समझ में नही आई। कुछ साथी कई प्रकार के प्रश्न भी करते है जिसका उत्तर मै नहीं दे पाता । आप एक बार ट्रस्ट की आवश्यकता, ढांचा, वर्तमान स्थिति, आर्थिक स्थिति आदि स्पष्ट करे तो हमें सुविधा होगी ।

उत्तरः– हम वर्तमान अव्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से नये नये प्रयोग करते रहते रहे है। ऐसे ही प्रयोग के अन्तर्गत यह विचार बना कि न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के साथ साथ एक चौथी इकाई अर्थपालिका भी बने जो तीनो के समान ही पूरी तरह स्वतंत्र इकाई हो अर्थात् आय और व्यय संबंधी अधिकार सिर्फ अर्थपालिका के पास ही रहे । इससे इन तीनो की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लग सकेगा । इस प्रयोग को प्रचारित करने के पूर्व यदि हम अपने ज्ञान यज्ञ परिवार से ही शुरू करे तो अधिक अच्छा होगा । यही सोचकर ट्रस्ट का प्रारूप बना । दूसरी बात यह भी थी कि वानप्रस्थ के बाद मैं सम्पति और अधिकार से मुक्त हो रहा हूँ । संभव है कि मेरे बाद परिवार की मानसिकता शेष धन को भिन्न प्रयोजन में लगाने की हो जावे। यदि मै अपने जीवन काल में ही शेष पच्चीस लाख रूपया इस कार्य के निमित्त घोषित कर दूंगा तो मेरा परिवार नैतिक आधार पर बंधा रहेगा और उसे अन्यथा सोचने में कठिनाई होगी। यही सोचकर ट्रस्ट बना ।

ट्रस्ट के दो कार्य थे 1. संरक्षित राशि को संरक्षित रखते हुये उससे होनी वाली वार्षिक आय से राज्य कमजोरी करण और समाज सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही संस्थाओं को सहायतार्थ मदद करना । 2. बजरंग मुनि जी के कार्यो की संमीक्षा करते हुये यदि आवश्यक हो तो उन्हें निर्देश देना। ये दोनो ही कार्य बिल्कुल अलग अलग है किन्तु ट्रस्ट दोनो ही कार्यकरता है । ट्रस्ट स्वतः ही कोई कार्य नही कर सकता । वह तो मात्र ऐसा काम कर रही संस्थाओं को बजट स्वीकृत करके राशि मात्र दे सकता है और आवश्यक हो तो उसका हिसाब ले सकता है। इस तरह ट्रस्ट की भूमिका बहुत सीमित है, किन्तु है बहुत महत्वपूर्ण क्योकि नीतिगत निर्णय तथा आर्थिक नियंत्रण में ट्रस्ट बहुत महत्वपूर्ण है।

ट्रस्ट का जब तक कोई वैधानिक ढांचा नही बना है तब तक मेरे द्वारा प्रस्तावित प्रारूप पर ही कार्य हो रहा है। प्रारूप यह है :–

1) ट्रस्ट का नाम ज्ञान यज्ञ परिवार ट्रस्ट होगा ।

2) ट्रस्ट का कार्य मैने उपर बताया है।

3) ट्रस्ट के दो प्रकार के सदस्य होंगे । (क) संस्थापक (ख) दाता

(क) संस्थापक सदस्य कुल मिलाकर इक्यावन होंगे जिन्हे मै प्रस्तावित करूंगा ।

(ख) दाता सदस्य वो होंगे जो दस हजार रूपये वार्षिक या एक हजार रूपया मासिक या एक लाख रूपया

आजीवन ट्रस्ट को दान देंगे ।

4) दाता सदस्यों की संख्या कितनी भी हो सकती है किन्तु मतदान की स्थिति में दाता सदस्यों के मत का मूल्य किसी भी स्थिति में संस्थापक सदस्यों के मूल्य से अधिक नहीं होगा । अर्थात् किसी बैठक में इक्यावन की जगह दस संस्थापक सदस्य उपस्थित है और सोलह दाता सदस्य उपस्थित हो तो सोलह सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य 10/16 (दस / सोलह) ही होगा एक नहीं ।

5) ट्रस्ट की सम्पूर्ण सम्पति पर ट्रस्ट के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या संस्था का कोई भी हस्तक्षेप या अधिकार नहीं होगा ।

6) मै अर्थात् बजरंग मुनि इस ट्रस्ट का संस्थापक या दाता सदस्य नही हो सकता । मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ट्रस्ट का संस्थापक सदस्य नही बन सकता।

7) अब तक मैने उन्तीस नाम संस्थापक के रूप में प्रस्तावित किये जो ज्ञान तत्व अंक एक सौ अरसठ में छपे भी है। इनमें से अब तक आचार्य पंकज जी अलग हुये है । शेष अठाईस नाम इस प्रकार हैः—

1. श्री ठाकुर दास जी बंग , सेवाग्रम, वर्धा, महाराष्ट
2. श्री रणवीर जी शर्मा आई पी एस चंडीगढ
3. श्री अशोक कुमार जी गदिया, राजस्थान
4. श्री रामबहादुर जी राय वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली
5. श्री राजसिह जी आर्य , आर्य समाज दिल्ली
6. श्री आर्यभूषण जी भारद्वाज भजनपुरा दिल्ली
7. श्री आर एन सिह जी बलिया उत्तर प्रदेश
8. श्री राम कृष्ण जी पौराणिक उज्जैन म. प्र.
9. श्री विजय कौशल जी महाराज, वृन्दावन
10. श्री प्रमोद कुमार वात्सल्य , रिषिकेश
11. श्री कृष्ण कुमार जी खन्ना, मेरठ उ.प्र.
12. श्री शरद कुमार जी साधक वाराणसी उ.प्र.
13. श्री ओमप्रकाश दुबे जी गोतम बुद्ध नगर उ.प्र.
14. श्री अशोक त्रिपाठी , आर्य समाज वाराणसी उ.प्र.
15. श्री कृष्ण लाल रूंगटा धनबाद झारखंड
16. श्री अब्दुल भाई , मदुराई, तमिलनाडु
17. श्री एम एच पाटील धारवाड कर्नाटक
18. श्री महावीर त्यागी, पानीपत हरियाणा

19. श्री डा. प्रकाश , बिजनौर उ.प्र.
20. श्री कृष्णचन्द्र सहाय जी आगरा उ.प्र.
21. श्री पी. के सिध्दार्थ आई पी एस रॉची झारखण्ड
22. श्री महेश भाई गोपालगंज बिहार
23. श्री श्याम बहादुर जी नम्र अनूपपुर म.प्र.
24. श्री श्यामसुन्दर जी तिवाडी शोलापुर महाराष्ट
25. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल वृक्ष मित्र अम्बिकापुर छ.ग.
26. श्री विजय नाथ जी दुबे अधिवक्ता अम्बिकापुर छ.ग
27. श्री प्रभुनारायण जी त्रिपाठी अधिवक्ता अम्बिकापुर छ.ग.
28. श्री केशव चौबे राधवपुरी अम्बिकापुर छ.ग.

8) दाता सदस्यों के रूप में श्री घनश्याम जी गर्ग नोयडा, श्री नन्दराम जी अग्रवाल अम्बिकापुर, श्री कन्हैया लाल अग्रवाल रामानुजगंज , श्री अमीरचन्द जी गुप्त रामानुजगंज, श्री पंकज अग्रवाल अम्बिकापुर के है।

अभी जनवरी दो हजार दस में श्री राजकुमार गुप्त विजयनगर वालो ने सदस्यता स्वीकार की हैं । इस तरह दाता सदस्य संख्या छः हो गई है।

ट्रस्ट की कम से कम एक बैठक पच्चीस दिसम्बर को अवश्य होगी जिसमें पूरी समीक्षा की जायेगी । बीच में भी बैठक बुलाई जा सकती है। पिछली बैठक की चर्चा अनुसार बजरंग मुनि जी अब तक जिस प्रकार की व्यवस्था कर रहे है उसी तरह वर्ष दो हजार दस में भी करते रहेगें । वे ट्रस्ट का मूलधन पचीस लाख रूपये बिना अनुमति खर्च नही कर सकते । वे वार्षिक दान राशि तथा पचीस लाख की ब्याज राशि एक वर्ष तक स्वप्ररेणा से खर्च करते रहेगें । दो हजार नौ में ट्रस्ट को अनुभव हुआ कि मुनि जी के हाथो ब्याज तथा चन्दे से प्राप्त राशि से कई गुना अधिक खर्च होते हुये भी पचीस लाख रूपया सुरक्षित है। इसलिये अब तक के हिसाब को समाप्त मानकर नये वर्ष के लिये स्वप्रेरित आय व्यय तथा सक्रियता की अनुमति प्रदान की गई ।

अब तक भारत में अनेक ट्रस्टों का बहुत दुखद इतिहास रहा है। या तो ट्रस्टो में परिवार हस्तक्षेप अधिकतम हो गया अथवा कभी कभी ट्रस्टी ही अपने अपने अधिकारों के लिये आवश्यकता से अधिक सक्रिय हो गये जिससे पूरा ट्रस्ट ही टकराव में फंस गया । ज्ञान यज्ञ परिवार ट्रस्ट इन दोनो स्थितियों से बचने का प्रयास है । ट्रस्ट कोई सक्रिय संस्था न होकर सक्रिय संस्थाओ को सहायता और अंकुश तक ही सीमित है। दूसरी ओर मैने स्वेच्छा से ट्रस्ट को अपने अधिकार समर्पित किये है । मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं उक्त समर्पण भाव का सम्मान करूँ । यह कर्त्तव्य तो है किन्तु यह किसी दूसरे का अधिकार नही है। यदि कोई व्यक्ति आपसे ट्रस्ट के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहता है तो उसे सब कुछ बता दीजिये क्योकि हमारा कुछ भी छिपा नही है। किन्तु यदि कोई अनावश्यक प्रश्नोत्तर करे तो उसे बता दीजिये की यह जानना उसका अधिकार नही है।

पिछला वर्ष ट्रस्ट में बिना बिघ्न बाधा के पूरा हुआ । अगले वर्ष भी कोई बाधा आने की संभावना नही है। ट्रस्ट के वर्तमान सदस्य अभी उतने गंभीर नही है क्योकि भारत में पहली बार

स्वतंत्र अर्थपालिका का प्रयोग हो रहा है। समझने और सक्रिय होने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है।

कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर

(ग)प्रश्नः— क्या आप छोटे राज्यों के पक्ष में है?

उत्तरः— राज्य शब्द को स्पष्ट करने की जरूरत है। राज्य का एक अर्थ होता है शासक और दूसरा होता है प्रदेश सरकार । आपका आशय राज्यों के छोटे छोटे विभाजन तक सीमित है तो निश्चित रूप से वर्तमान केन्द्रित शासन प्रणाली की अपेक्षा विकेन्द्रित शासन प्रणाली अच्छी ही होगी भले ही आदर्श न हो ।

आदर्श स्थिति यह होती है कि सम्पूर्ण भारत में सिर्फ एक सरकार हो जो केन्द्र में स्थापित हो । उस सरकार के पास सिर्फ पांच ही विभाग हो, ''पुलिस, सेना, वित्त, विदेश और न्याय'' । अन्य सभी विभाग सरकार से हटकर समाज व्यवस्था के पास हो । समाज व्यवस्था इन सभी विभागों को परिवार, गांव, जिला, प्रदेश और केन्द्र के बीच बांट ले । ये सभी विभाग शासन मुक्त रहे । यदि पांच विभाग एक जगह होकर अन्य सभी समाज व्यवस्था को स्थानान्तरित कर दिये जावे तो सारी समस्या स्वयं हल हो सकती है। किन्तु इस दिशा में पहल नही हो रही । इस व्यवस्था को लोक स्वराज्य कहते है। इसमें नीचे की इकाई आवश्यकतानुसार उपर की इकाई को अधिकार देती है। इसमें प्रदेश सरकार होती ही नहीं सिर्फ केन्द्र सरकार ही होती है। इस व्यवस्था में छोटे राज्य नही हो सकते क्योकि शासन में तो राज्य होते ही नहीं और समाज व्यवस्था में छोटे बड़े का कोई विवाद नही है।

वर्तमान राजनैतिक शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहते है। इसमें सारे अधिकार शासन के पास होते है। ये अधिकार शक्ति के रूप में बटे होते है। ये अधिकार केन्द्र के पास इकट्ठे न रहकर छोटे छोटे राज्यों में बटते जाना एक अच्छी प्रक्रिया है क्योकि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण राज्य के न्यूसेन्स वैल्यू को कम करेगा। लोकतंत्र में राज्य समाज के लिये एक बोझ होता है। वह समस्याओं का समाधान न करके समस्याएँ पैदा करता है। ऐसा बोझ यदि विभाजित रहे तो अच्छा है। इसलिये छोटे राज्यो का समर्थन करना चाहिये । छोटे राज्य की मांग और विरोध का कारण सत्ता की लालसा है। यदि सत्ता विभाजित हो तो परेशानी की कोई बात नही है।

आन्ध्र में छोटे राज्य की मांग जोर पकड़ रही है। मैने बीस तीस वर्ष पूर्व ही मांग उठाई थी कि सम्पूर्ण भारत को सौ प्रदेशों में बांट देना चाहिये और प्रत्येक प्रदेश के सौ जिले हो। इस तरह एक जिले की आबादी एक ब्लाक के बराबर हो जायेगी । ब्लाक शब्द हटा दे । मै अब भी अपनी बात पर कायम हूँ । शहर और गांवों का भेद मिट जायेगा प्रशासनिक खर्चे कम हो जायेगे क्योकि एक लाख का एक जिला होगा तो कम वेतन भोगी कम विभागीय ढांचे से काम चल जायेगा। छोटे राज्य छोटे जिले हर प्रकार से उचित है।

यदि विकेन्द्रीयकरण की यह मांग गांव तक आ जावें तो और भी अच्छा है। यही तो है स्थानीय स्वायत्तत्ता । यह तो लोकस्वराज्य की दिशा में एक अच्छा कदम है। सम्पूर्ण भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को छोटे छोटे टुकडों में बांट कर सत्ता को विकेन्द्रित कर ही देना चाहिये । किन्तु यह विकेन्द्रित शासन प्रणाली कोई आदर्श स्थिति नहीं है। जैसा मै पहले भी लिख चुका हूँ। यह तो एक बड़ी बुराई की अपेक्षा कम बुराई का मार्ग है। आदर्श स्थिति तो एक केन्द्रीय सरकार का होना ही है।

पत्रोत्तर

(घ) श्री मधुर कुलश्रेष्ठ, आदर्श कालोनी, गुना , मध्यप्रदेश

प्रश्नः– अंतरजातीय विवाह से जातिवाद नही जाता है, बिल्कुल ठीक है । अतंरजातीय विवाह विभिन्न प्रकार के दबावों के बीच होते है। ये विवाह सम्पन्न भी हो जाते है। उनके बाद भी दोनों ओर के परिवारों को अनेको सामाजिक व मानसिक दबावों का सामना, पूरी जिन्दगी करना पड़ता है। जीवन की प्रथम पाठशाला में वचपन में जो रीति रिवाज हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाते है उनकी छाप व हमारे अन्दर के वंशानुगत संस्कार जिन्दगी भर हमे निर्देशित करते रहते है।

आज कल के माहौल में जाति भाव मिटना लगभग असंभव है। राजनैतिक स्तर पर व संवैधानिक स्तर पर कथनी और करनी में असमानता है। संविधान जहॉ जातिगत भेदभाव मिटाने की बात करता है वही जातिगत आरक्षण को प्रश्रय देता है । राजनीति में तो टिकिटो के बंटवारे से लेकर हर कार्य जाति आधारित हो चुका है। ऐसे में जातिगत भेद मिटाना कैसे संभव होगा । एक पहचान भारतीय की जगह हमारी अनेकानेक पहचान है। भाषाई आधार पर भी अब अलग अलग पहचान बनानेका मुद्दा प्रबल हो रहा है।

जातिभाव मिटाने के लिये हमें सर्वधर्म समभाव की जगह एक धर्म भारतीय भाव येन केन प्रकारेण लाना होगा ।

उत्तरः– आपने जातिवाद के मजबूत होने के जो कारण गिनाये है उनसे मेरी पूरी सहमति है । समाज को जातिधर्म के आधार पर लम्बे समय तक वर्गो में विभाजित करने के सभी आधार भारतीय संविधान मे मौजूद है। मै सहमत हूँ कि भारत की सभी समस्याओं की जड़े भारतीय संविधान से ही निकलती है। जिन्हे भारतीय राजनीतिज्ञ सींच सीच कर बढ़ाता है और उसके दूषित फलो के लिये समाज को दोष देता है। जातिवाद भी ऐसी ही जड़ो से निकला पौधा है।

अंतरजातीय विवाह ऐसे पौधे का एक पत्ता या छोटी सी डगाल को तोड़ने के प्रयत्न के समान है । हम इस प्रयत्न से आत्म सुख तो पा सकते है किन्तु समाधान नही कर सकते । राजनैतिक स्तर पर नीचे से उपर तक कथनी और करनी बिल्कुल विपरीत है। यहॉ तक मेरी सहमति है। किन्तु आपने समाधान के रूप में सर्वधर्म समभाव के स्थान पर एक धर्म भारतीय करण'' का सुझाव दिया इसे और स्पष्ट करना होगा । भारतीय करण भारतीय समाज में होना चाहिये या संविधान में यह विचारना आवश्यक है। सभी धार्मिक जातीय भेद भाव की जड़े संविधान में है। तब तो भारतीय करण की शुरूआत भी संविधान से ही होनी चाहिये । इससे मेरी पूरी सहमति भी है

और सक्रियता भी किन्तु यदि इसका आशय समाज के भारतीय करण से है तो मै ऐसे किसी भी प्रयत्न के विरूद्ध हूँ क्योकि पहली बात तो यह है कि संविधान विष बेल पैदा करता रहे, राजनेता उसे सींचता रहे और हम काटते रहे यह बुद्धिमानि भी नही और परिणाम भी नही होगा । दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह जातिवाद एक बुराई है उसी तरह राष्ट्रवाद भी एक बुराई है। धर्म जाति भाषा के आधार पर समाज न टूटे और राष्ट्र के आधार पर समाज टूटे यह भी अच्छी बात नहीं होगी । आशा है कि भारतीय करण को और स्पष्ट किया जायेगा तभी कुछ स्पष्टता होगी ।

(च) श्री मधुसूदन अग्रवाल, गोन्दिया महाराष्ट्र

सुझावः– ज्ञान तत्व मिलता रहता है । समाज प्रबोधन जागरण एवं सशक्तिकरण की सम्प्रति नितान्त आवश्यकता है इस दृष्टि से प्रारंभिक चरण स्तुत्य है। क्रमानुसार चौथे व पाचवें बिन्दु का लक्ष्य और अभिप्राय स्पष्ट और व्यवहार्य प्रतीत होता है। प्रथम द्वितीय एंव तृतीय बिन्दु व्यापक विशाल और गहनलगा। दासताजन्य मलिनता और भ्रान्त मानसिकता से कि कर्त्तव्य विमूठ सधारण नागरिक के लिये सा कदाचित दुरूह और आकाश कुसुम । मेरे निकट यह सुसंस्कृत समाज का आदर्श है जिसकी प्राप्ति कष्टसाध्य और समयापेक्षी है। तथापि लक्ष्य को निर्णीत व निश्चित होना ही चाहिये ।

एक सौ तेरह गांवों में उपरोक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन अभीष्ट है। मेरे विचार और कल्पना में इसका अमलीकरण अत्यन्त मृदुल और सौम्य होना आवश्यक है। इसका सारा उपक्रम सकारात्मक और कल्याणकारी स्वरूप का दिखाई देना चाहिये । मुझे भय है कि यदि शासन और अधिकार सम्पन्न सत्ता इसे अपनी प्रभुता की सीमा में अतिक्रमण समझ ले तो अनावश्यक रूप से इसे चुनौती मानकर दमन की मुद्रा में आ जायेगी । यह स्थिति हमारे लिये न तो वांछनीय है न ही स्वास्थकारी । इतनी सतर्कता एवं परहेज मुझे अनिवार्य लगता है। पिछले डेढ़ सौ वर्षो मे ऐसी अनेक घटनाएँ और उदाहरण है जिसका उदगम् तो गंगोत्री सा निर्मल पाप ताप हारी और मंगल कार्य था किन्तु दूषित क्रियान्वयन और मलासिक्त अपमिश्रण से मैली गंगा सिद्ध हुआ । लक्ष्य में पिछले लगभग बीस वर्षो से आपके सम्पर्क में हूँ । आपकी निष्ठा, उर्जा और चिन्तन की हार्दिक प्रशंसा करता हूँ तथा आपके प्रयासों को देश के लिये अत्यन्त पोषक मानता हूँ । गालिब के एक शेर से पत्र का समापन करना चाहूँगा ।

दाम हर मौज में है, हलकाये–सदकामे–नहंग,

देखे क्या गुजरे है, कतरे पे गुहर होने तक ।

उत्तरः– आपका पत्र अत्यधिक गंभीर है। पांच बिन्दुओ पर सक्रियता शुरू की गई हैः–

1. लोक और तंत्र के बीच की दूरी कम करना ।
2. वर्ग विद्वेष को वर्ग समन्वय में बदलना ।
3. अहिंसक समाज रचना को प्रोत्साहन ।
4. भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत व्यवस्था की गारंटी ।
5. ग्रामीण उत्पादनों तथा उपभोग की वस्तुओ को कर मुक्त नियंत्रण मुक्त करने हेतु शासन से निवेदन ।

आपको ऐसा महसूस हुआ कि यदि पांच में से तीन बिन्दुओं पर सक्रियता में होश के स्थान पर जोश हावी हुआ तो लाभ हानि में बदल सकता है। विश्वास रखिये कि ऐसी भूल नहीं होगी । हम राज्य या राजनेताओं के शत्रु नहीं है न ही उन्हें बदनाम करके सत्ता में जाना ही हमारा लक्ष्य है। भले ही मै दलगत राजनीति में नहीं हूँ किन्तु मुझे इस सम्बन्ध में अन्दर तक जानकारी तो है ही ।

वैसे जो तीन उपर के मुद्दे है उनसे राज्य को कोई परेशानी नही होने वाली है । हम इन तीन मुद्दो पर किसी के साथ कोई छेड़ छाड़ नहीं कर रहे । प्रत्येक ग्राम सभा को इस तरह सक्रिय कर रहे है कि ग्राम सभा उस स्वरूप में आ जाये जैसी राजनैतिक व्यवस्था तो चाहती है किन्तु राजनेता नही चाहते है। चौथे मुद्दे पर भी राजनेताओं को ही अप्रत्यक्ष कष्ट होगा किन्तु प्रत्यक्ष तो समर्थन ही होगा । पांचवे मुद्दे पर भी हम ग्राम सभा में प्रस्ताव मात्र पास करेगें कोई आन्दोलन या अन्य सक्रियता नही होनी है। यदि हमारा नेता हमारा समर्थन नही करता है तब हम चुनाव में उसकी समीक्षा करेंगे न कि बीच में कोई परेशानी खड़ी करेगें । यदि जनमत जागृत होगा तो उम्मीदवार को सोचना ही होगा । इसलिये विश्वास रखिये कि पूरी सतर्कता है।

रामानुजगंज नक्सलवाद का भी गढ़ है। हम सम्पूर्ण विकास खण्ड के एक सौ तेरह गांवों में प्रयासरत हैं कि भारत सरकार तथा नक्सलवादी दोनो ही पांच बातो पर सहमत होकर ग्राम सभाओं को सशक्त करना स्वीकार कर ले । स्वायत्त ग्रामीण व्यवस्था से इन दोनो के बीच का विवाद टल सकता है। राज्य उपर उपर तो इस स्थानीय स्वायत्तता से सहमत हो जाता है किन्तु राजनेता इनसे सहमत नही क्योकि इससे उनकी वरिष्ठता तथा भ्रष्टाचार पर चोट आयेगी। दूसरी ओर नक्सलवादी भी सैद्धान्तिक रूप से स्थानीय स्वायत्तता के पक्षधर है किन्तु वे ऐसा चाहेगें नहीं । ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान इन दोनो के बीच का पर्दा उठा देगा या तो ये स्थानीय स्वायत्तता को स्वीकार करे या जन समर्थन खोने का खतरा उठावें । न तो हम वस्तर के सलवाजुडूम के समान नक्सलवाद के विरूद्ध राज्य के समर्थन में खडे है न ही मानव अधिकार कार्यकत्ताओं के समान राज्य के विरूद्ध । बस्तर में मेघा पाटकर संदीप पांडे आदि तथा कथित गांधी वादी मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं को भारी जन विरोध का सामना करना पडा । मैने स्वयं इन सब को कई बार कहा है कि वे गांधी के नाम पर एक कलंक का काम कर रहे है। ये लोग जिस तरह नक्सलवादी हिंसा का समर्थन करते रहे है वह कही भी गांधी की सोच से मेल नही खाती । किन्तु ये तो उल्टा मुझे ही समझाने लगते थे । छत्तीसगढ़ के बस्तर में उनकी भाषा कुछ बदली है। मै अब भी समझता हूँ कि ये तथा कथित गांधी वादी स्थानीय स्वायत्तता को समझे और ग्राम सभा सशक्तिकरण का नारा बुलंद करें । हम एक तीसरे पक्ष हैं अर्थात् हम मालिक हैं। हमारे दो प्रबन्धक आपस में लड़ रहे है उससे अच्छा तो यही है कि हम स्वयं ही उनका झगडा खतम कर दे और स्वयं सक्रिय हो जावें। इससे अच्छा कोई अन्य मार्ग नही है।

मेरे विचार में नक्सलवाद का समाधान न ही विकास है न ही बन्दूक । इसका समाधान है स्थानीय स्वायत्तता । इस संबंध में इसी अंक में लिखे लेख से और जानकारी संभव है।

(छ) आचार्य पंकज, श्री नेपाली क्षेत्र लक्ष्मण झूला मार्ग, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड

समीक्षाः— नवम्बर 2009 के शुरूआत में देवबन्द में आयोजित जमीयत उल्लेमा—ए—हिन्द की कांफ्रेस कई कारणो से चर्चा में रही लेकिन जिस महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा कम हुई वह है इस कांफ्रेस द्वारा महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण का विरोध और दस साल से बड़ी बच्चीयों की आगे पढ़ाई पर शरीयत की कड़ी शर्तो का थोपा जाना । जमीयत के प्रस्ताव से महिलाओं के लिये दोयम दर्जे की भाषा साफ झलकती है प्रस्ताव में कहा गया है कि महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण अनावश्यक है और इसे कबूल नही किया जा सकता है। इसकी वजह ये बताई गई है कि आरक्षण से महिलायें मुख्यधारा में आ जायेंगी । उसके चलते उनकी सुरक्षा के साथ साथ दूसरी सामाजिक समस्याएँ भी उठ खड़ी होंगी । जमीयत मुस्लिम मर्दो के लिये तो आरक्षण चाहता है लेकिन महिलाओं को इससे दूर रखने का प्रस्ताव पारित कर जमीयत ने यह साफ जता दिया है कि सुरक्षा के बहाने यह मुस्लिम महिलाओं की सार्वजनिक उपस्थिति नहीं चाहता है । यहॉ यह याद दिलाना उचित होगा कि सुरक्षा का हवाला देकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी महिलाओं को राजनीतिक, समाजिक सक्रियता से दूर रखने की वकालत करता रहा है। 1925 ई. से पुरूष सेवक ही शाखाओं में जाते हैं।

जमीनी हकीकत यह है कि मुस्लिम महिलाओं की अक्सरियत के हालात दलित महिलाओं जैसे ही बदतर हैं । तजुर्बा यह बताता है कि महिलायें तब कही ज्यादा असुरक्षित होती है, जब उनकी मौजूदगी और उनकी आवाज को सार्वजनिक मंचो पर पहुॅचने से रोका जाता है। वरना समाज क्या परिवार में भी उनके साथ ज्यादती और हिंसा होती है लेकिन उस पर पर्दा पड़ा रहता है । यह बडे अफसोस की बात है कि मुसलमानों की मसीहा कहलाने वाली जमातें, मुस्लिम महिलाओं की तरक्की, सेहत पढ़ाई रोजगार जैसे सवालो पर तो चुप्पी साधे रहती है लेकिन उन्हें जब भी मौका मिलता है तो पहले से ही दर किनार मुस्लिम महिलाओं को और भी पीछे ढकेलने के लिये अपनी आवाज बुलन्द करने लगती है। मुस्लिम लड़कियॉ जो समाज की चार दीवारी तोड़कर अपनी हिम्मत और योग्यता के बूते पर बाहर आई है, पढ़ाई के मैदान में आगे पढ़ने की जद्दोजहन कर रही है, डाक्टर, इंजीनियर बन रही है, इनकी पढाई पर शरीयत के नाम पर तरह तरह की पाबंदी लगाना शर्मनाक है। जमीयत का प्रस्ताव है कि दस साल से बड़ी बच्चियों को आगें की पढाई जारी रखने के लिये शरीयत की शर्तो का पालन करना चाहिये । मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के जरिये आगे बढ़ाने का हौसला देने के वजाय जमीयत का प्रस्ताव इन लडकियों को रोशनी से अंधेरे की तरफ ले जाने का काम कर रहा है । इस प्रस्ताव में यह खतरा निहित है कि मुस्लिम लड़कियों के लिये उच्च शिक्षा के अवसर सीमित हो जायेंगे । यह मुस्लिम महिलाओं को कैद और काबू में रखने का अजमाया हथियार है।

कांग्रेस, सपा, बसपा, राजद जैसी पार्टीयॉ मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन जब भी मुस्लिम महिलाओं के हक—हकूक की बात उठती है, मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने का सवाल उठता है तब बड़ी बड़ी बाते करने वालें ये सियासतदां चुप्पी साध लेते है ।

ऐसे मे होना तो यह चाहिये कि अपना संवैधानिक दायित्व निभाते हुये केन्द्र और सूबे की सरकार यह ऐलान करे कि चाहे खाप पंचायते हो या जमीयत जैसे सामुदायिक, संगठन इनको संस्कृति की हिफाजत के नाम पर असंवैधानिक पाबंदियां लगाने का कोई हक नहीं है।

मेरी दृष्टि में जब तक भारत में ''समान नागरिक संहिता'' को वैधानिक रूप से बाध्यकारी नही बनाया जायेगा तब तक देश प्रतिक्षण टूटता रहेगा । संविधान में ''समान नागरिक संहिता'' लागू करने का उल्लेख है। बासठ वर्ष बीत गये, उसे लागू करने में देश के सभी राजनीतिक दलों की नानी मर जाती है।

उत्तरः– इस्लाम में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नही हैं जो समाज के लिये घातक है, इस बात से मै सहमत हूॅ । दस साल से अधिक उम्र की बच्चियो पर शरीयत थोपकर उन्हे शिक्षा से वंचित करना भी अन्याय है, क्योकि मेरे विचार मे धर्म परिवार को सलाह मात्र दे सकता है, बाध्य नही कर सकता । किन्तु तैतीस प्रतिशत आरक्षण के विषय पर आपके विचारो मे कुछ और मंथन की आवश्यकता है। महिला आरक्षण का विरोध इस्लामिक कठमुल्ले और साम्प्रदायिक हिन्दू संगठनों द्वारा जिस उद्देश्य से किया जा रहा है वह उद्देश्य घातक है किन्तु महिला आरक्षण का समर्थन भी जिस उद्देश्य से किया जा रहा है वह भी कम घातक नही महिला आरक्षण का लाभ पंचान्नवें प्रतिशत सक्षम परिवार उठाते है। शायद ही कभी अक्षम परिवार लाभ उठा पावें। यह आरक्षण अक्षम परिवारों के पुरूषों के होने वाले संभावित लाभ के अवसर कम करके सक्षम परिवारो की महिलाओं की ओर बदल देगा। तैतीस प्रतिशत महिला आरक्षण का मतलब है कुल महिलाओं के एक प्रतिशत से भी कम महिलाओं का सशक्तिकरण जो पहले से ही सशक्त परिवारों को और सशक्त बनाने में सहायक होगा । आरक्षण के अभाव में कुल राजनैतिक पदों पर पंचान्नवें प्रतिशत परिवारों से पुरूष सदस्य चुनकर आते है जो अब घटकर साठ प्रतिशत परिवारों तक केन्द्रित हो जायेगें । सरकारी नौकरियों में भी ऐसा ही होगा कि सक्षम परिवारों के पति पत्नी दोनो फायदा उठा सकेगे और लाभ कुछ परिवारों तक सिमट जायेगा ।

आपने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। मै भी सहमत हूॅ । किन्तु पिछली पुरूष प्रधान व्यवस्था के दुष्परिणामों की भरपाई कुछ नई समस्याओं को जन्म देगी । लाभ के अवसरों का विकेन्द्रीयकरण होना चाहियें, केन्द्रीयकरण नहीं । महिला आरक्षण लाभ के अवसर केन्द्रित करने में सहायक होगा । महिला और पुरूष विपरीत लिंग होने से आकर्षण स्वाभाविक है। हमें यह नीतिगत निर्णय लेना होगा कि समाज इनकी दूरी कम करने का प्रयास करे या बढ़ाने का प्रयास करें या इसका निर्णय काल और परिस्थिति अनुसार परिवारों पर छोड़ दें। आरक्षण के प्रभाव से महिला सशक्तिकरण तो होगा किन्तु दूरी घटेगी और खतरें बढ़गे । यदि हम दूरी घटने के पक्षधर है तो बार बालाओं पर प्रतिबंध क्यो ? वैश्यालयों पर इतनी कठोरता क्यों ? कोई एक प्रकार की नीति बनाई जावें या निर्णय समाज पर छोड़ दिया जाये। मेरा यह विचार है कि परिवार और समाज के निर्णयों में न राज्य कानून बनावें न धार्मिक संगठन । परिवार और ग्राम सभाएॅ बैठकर अपने आन्तरिक निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक करें । व्यक्ति, परिवार, गांव और समाज की अपनी अपनी अधिकारों की सीमाएॅ तय हो और यदि कोई सीमा उल्लंघन करें तो राज्य हस्तक्षेप करें । जैसा कि कभी कभी खाप पंचायतें उल्लंघन करती है।

महिला शिक्षा के संबंध में मुल्लाओं का हस्तक्षेप परिवार की आन्तरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप होने से निन्दनीय है । उसी तरह तैंतीस प्रतिशत महिला आरक्षण भी परिवार की आन्तरिक संरचना में कानूनी हस्तक्षेप होने से लाभ कम और हानि अधिक करेगा । लाभ के अवसर या तो योग्यतानुसार होना चाहिये या प्रसाद स्वरूप । यदि योग्यतानुसार अवसर की समानता है तो आरक्षण

बिल्कुल अनावश्यक है, यदि प्रसाद स्वरूप है तो शत प्रतिशत महिला आरक्षण दे देना चाहियें जिससे ज्यादा से ज्यादा परिवारों को लाभ हों। मेरे इस सुझाव का विरोध क्यो होता है यह सोचने का विषय है। मेरा तो मत है कि सक्षम लोगों की कूट तिकड़मी मनसा पर चर्चा होनी चाहियें ।